संख्या–324 /XVI/08/7(52)/2006

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
प्रेमनगर देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 देहरादूनः दिनांक 24 मार्च,2008

विषयः–सिल्क पार्क के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना 0712–उत्तराखण्ड सहकारी रेशम फेडरेशम का सुदृढ़ीकरण के उपमानक मद 24–वृहद निर्माण मद में पुनर्विनियोगोपरान्त रू0–140.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4857/रेशम/तक0अनु0/सिल्क पार्क/2007–08 दिनांक–14/03/2008 तथा पत्र संख्या–4771/रेशम/तक0अनु0/सिल्क पार्क/2007–08 दिनांक–10/03/2008 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि सिल्क पार्क के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में रेशम विभाग के अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना–0712–उत्तराखण्ड सहकारी रेशम फेडरेशम का सुदृढ़ीकरण के उपमानक मद 24–वृहद निर्माण मद में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के दृष्टिगत संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र–बी0एम0–15 के अनुसार उद्यान विभाग के अनुदान संख्या–29 की आयोजनागत पक्ष की योजना–0310–सेन्टर आफ एक्सीलेन्स की स्थापना के उपमानक मद 24– वृहद निर्माण में उपलब्ध बचतों से रू0–140.00 लाख (रूपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र) का पुनर्विनियोग करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिए ही किया जायेगा।

2– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–599/XXVII(1)/2007,दिनांक–12 जुलाई,2007 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वार समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

8– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

.....2/–

10– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास–0712–उत्तराखण्ड सहकारी रेशम फेडरेशन का सुदृढ़ीकरण के 24–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा, तथा संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र **बी0एम0 15** के कालम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–551(P) / XXVII–4/2007, दिनांक–19 मार्च,2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–324 /XVI/08/7(52)/2006,तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2–वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन
3–निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग,उत्तराखण्ड।
6–राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
7–आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8–जिलाधिकारी, देहरादून।
9–परियोजना प्रबन्धक,उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव।

पुर्नविनियोग विवरण पत्र 2007–08 अनुदान संख्या–29 (आयोजनागत से आयोजनागत)
नियंत्रक अधिकारी– निदेशक,रेशम विभाग,उत्तराखण्ड
प्रशासनिक विभाग–उद्यान एवं रेशम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(धनराशि रूपये हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि का स्थानान्तरण होना है।	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान संख्या–29 2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें–03–औद्यानिक विकास–0310–सेन्टर आफ एक्सीलेन्स की स्थापना 24–वृहद निर्माण –15000	–	–	14000	अनुदान संख्या–29 2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें 07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास–0712–उत्तराखण्ड सहकारी रेशम फेडरेशन का सुदृढ़ीकरण 24–वृहद निर्माण– 14000	18500	1000	(क) संगत मद में प्राविधानित धनराशि आवश्यकता से अधिक होने के कारण इसमें से पुर्नवि0 किया जा रहा है। (ख) बचतों की उपलब्धता एवं आवश्यकता होने के कारण।
योग 15000	–	–	14000(क)	14000 (ख)	18500	1000	

पुर्नविनियोग की संस्तुति की जाती है,तथा प्रमाणित किया जाता है,कि बजट मैनुवल के परिच्छेद 150,151,155,156, में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

..2.

उत्तराखण्ड शासन
वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4
संख्या–551(P)(1)/वि0अनु0–4/08
देहरादून: दिनांक–19 मार्च,2008

पुनर्विनियोग स्वीकृत

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग।
सहारनपुर रोड,देहरादून।

एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव (वित्त)

संख्या–324/**XVI/08/7(52)/2006**, तद्दिनांकित। 24.3.08
प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड ।
2– समस्त वरिष्ठ,कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
4– गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

24-3-08